कार्यालय नगर पालिका परिषद् गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

Add- Fort Road, Ward No.14, Gohad, District Bhind (M.P) Email: - cmogohad@mpurban.gov.in

क्रं.–शा–14 / स्व.भा.मि. / 2026 / 1334 गोहद, दिनांक 14/05/2026

/ / ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना / /

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर पालिका परिषद गोहद में प्रतिदिन स्त्रोत पृथक्कीकरण एवं प्रसंस्करण इकाईयों की सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार कॉलम में वर्णित कार्य हेतु दरों की आवश्यकता है। जिस हेतु केन्द्रीयकृत पंजीकरण व्यवस्था के तहत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत समस्त फर्म / कंसल्टेसी से ऑनलाइन निविदाऍं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेवसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	ऑनलाईन टेन्डर नं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि	कार्य की समयावधि	निविदा अंतिम दि
1.	2026-UAD-507476-1	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत प्रतिदिन स्त्रोत पृथक्कीकरण एवं प्रसंस्करण इकाईयों की सुचारू संचालन के संबंध कार्य।	10.00 लाख	1. 2000 2. 10000	06 माह	

शर्तेः–

1. ऑनलाइन पोर्टल से निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 29/5/26 समय सांय 05:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।
2. ठेकेदार को ऑनलाइन विड सम्मिट करनी होगी व समस्त प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन ही निविदा प्रपत्र शुल्क की प्रति, निर्धारित धरोहर राशि की FDR सक्षम श्रेणी में पंजीयन, टिन नम्बंर, पेन नम्बंर, की फोटो प्रति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज फायनैशियल विड ऑनलाइन दिनांक 29/5/26 समय सांय 05:30 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।
3. एनजीओ / सर्विस प्रदाता / स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) स्पेशलिस्ट को म0प्र0 के किसी भी 02 निकाय में प्रतिदिन स्त्रोत पृथक्कीकरण एवं प्रसंस्करण इकाईयों की सुचारू संचालन के कार्य करने का न्यूनतम 01 वर्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. प्राप्त विड दिनांक 01/06/26 समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों / प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेगें।
5. दर स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद गोहद को होगा इसके लिये वह कारण बताने को बाध्य नही होगी।
6. कार्य के देयकों से शासन नियमानुसार निर्धारित कटोत्रा किये जावेगें।
7. कार्य में GST का भुगतान शासन निर्देशानुसार पृथक से किया जावेगा।
8. उपरोक्त वर्णित कण्डिकाए अनुबंध का भाग होगीं।
9. निविदा में कोई भी संशोधन ऑनलाइन किया जावेगा। पृथक से कोई भी प्रकाशन नही किया जायेगा। निविदा से संबधित अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में संबंधित शाखा में देखी जा सकती है। कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद गोहद
जिला भिण्ड

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद गोहद
जिला भिण्ड

कार्यालय नगर पालिका परिषद् गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

Add- Fort Road, Ward No.14, Gohad, District Bhind (M.P) Email: - cmogohad@mpurban.gov.in

क्रं.–शा–14 / स्व.भा.मि. / 2026 / गोहद, दिनांक ....

कार्य का विवरण (स्कोप ऑफ–वर्क)

प्रतिदिन स्त्रोत पृथक्कीकरण एवं प्रसंस्करण इकाईयों की सुचारू संचालन के लिए निविदा हेतु अतिरिक्त शर्तेः–

1. कार्यक्षेत्रः– चयनित संस्था नगर के समस्त वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण एवं स्त्रोत पृथक्कीरण के कार्य हेतु प्रतिदिन डोर टू डोर वाहन के साथ अपने कर्मचारी जो घरों से प्राप्त होने वाले कचरे की मॉनिटरिंग करेगी कि कचरे को अलग–अलग कर कचरा गाडी में डाला जा रहा है कि नही ना डाले जाने पर संबंधित को कचरे को अलग–अलग करने के लिए समझाइस देने का कार्य करेगी।
2. एंजेसी को डोर टू डोर जाकर लोगों को कचरे को विभिन्न भागों में अलग–अलग कर कचरा वाहन में डाले जाने हेतु जागरूक करना होगा।
3. एंजेसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि गोहद नगर पालिका आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में कचरा मुक्त रेटिंग में न्यूनतम 1–स्टार रेटिंग प्राप्त करें।
4. नगर के समस्त वार्डो से संग्रहण किये गए कचरे को प्रसंस्करण इकाई पर अलग–अलग भागों में एकत्रित कर प्रति दिवस का रिकार्ड संधारित करना होगा।
5. नगर के समस्त वार्डों में एंजेसी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी रहवासी के द्वारा कचरा खुले में ना फेंका जाए। यदि किसी के द्वारा कचरा खुले में फेंका जा रहा है तो उसे रोका जा कर कचरा वाहन में कचरा डाले जाने हेतु जानकारी दी जावे।

भुगतान शर्तेः– निकाय द्वारा भुगतान प्रतिमाह समान किस्तों के रूप में संबंधित एंजेसी को किया जावेगा।

रिपोर्टिंग और निगरानीः–

- एंजेसी नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रदान करेगी, जिसमें की गई गतिविधियों और निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का विवरण होगा।
- एंजेसी नियमित प्राप्त होने वाले कचरे की मात्रा और प्रसस्करण इकाई पर विभिन्न भागों में छटनी बाद उपलब्ध कचरे का रिपोर्ट तैयार कर निकाय का माह के अंतिम में सौपेगी।
- प्रसंस्करण इकाई से बचे गये गये कचरे का रिकार्ड संधारण का कार्य प्रथक से संधारित करेगी।

ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा प्रपत्र, प्रक्रिया, विनिर्देशों नियम और शर्तो का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया जावे, अन्यथा उनकी किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा/ऑफर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा समस्त नियमों एवं शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है।

अनुसूची–एक पात्रता योग्यता (Prequalification)

यह उन सभी निविदादाओं जो निर्धारित शर्तो पर पूर्ण रूप से उपरोक्त योग्यता/आवश्यकताओं को पूरा कराने में पूर्ण सक्षम हो, उनके लिये खुला आमंत्रण है।

निविदादाता को निम्नलिखित योग्यताधारी होना आवश्यक है :–

8. संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) मान्य नहीं होगा।
9. निविदाकर्ता का पैन नंबर होना आवश्यक है।
10. फर्म/एजेंसी का जीवित स्थापना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।
11. निविदाकर्ता का भविष्य निधि पंजीयन आवश्यक है, विगत तीन साल की चालान/रिटर्न की प्रति संग्लग्न करना होगी।
12. निविदाकर्ता का राज्य कर्मचारी बीमा निगम में पंजीयन आवश्यक है, विगत तीन साल की चालान/रिटर्न की प्रति संग्लग्न करना होगी।
13. निविदाकर्ता का जी एस टी पंजीयन आवश्यक है विगत तीन साल की रिटर्न की प्रति संग्लग्न करना होगी।
14. निविदाकर्ता को इस आशय का एक शपत पत्र निविदा मै प्रस्तुत समस्त दस्तावेज के सही होने एवं स्वयं के द्वारा सत्यापित एवंप्रमाणित है। निविदाकर्ता फर्म या उसके प्रोप्राइटर/पार्टनर पर पुलिस केस प्रचलित नहीं होने और उनकी निविदादाता फर्म उसके प्रोपराइटर/पार्टनर को कभी किसी भी शासकीय/गैर शासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

नोट – किये उपरोक्तानुसार केवल चाहे गए दस्तावेज ऑन लाईन स्पष्ट अनुक्रमांक अनुसार दिये गये लिंक में ही अपलोड किये जाये। अनावश्यक दस्तावेज प्रस्तुत ना करें। अनावश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कोई विचार नही किया जायेगा। निकाय दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग से करने हेतु स्वतंत्र होगा। पात्रता योग्यता में अपूर्ण एवं अस्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली फर्म/एजेंसी को तकनिकी मुल्यांकन हेतु अपात्र माना जावेगा।

अमानत राशि की वापसी –

असफल निविदादाताओं की अमानत राशि अनुबंध संपादन के पश्चात निविदादाता के अनुरोध पर वापसी करने योग्य होगी। सफल निविदादाता की अमानत राशि अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय एफ.डी.आर. प्रस्तुत करने पर वापसी योग्य होगी।

अमानत राशि निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से जब्त की जावेगी –

15. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित वैधता अवधि के पूर्व निविदादाता द्वारा अपना प्रस्ताव वापस लिया जाता है।
16. निविदादाता अपने प्रस्ताव के स्पष्टीकरण के लिये निकाय के अनुरोध का जवाब प्रस्तुत नहीं करता है।
17. निविदादाता आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में असफल होता है अथवा गैर उत्तरदायी रवैया पाया जाता है।
18. सफल निविदादाता के मामले में वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।
19. निविदादाता यदि कार्यादेश की समयावधि में मेनपॉवर सप्लाय नहीं करता है तो एफ.डी.आर. जब्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

<u>पात्रता योग्यता—:</u>

निविदादाता से निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्तो/मानदण्डों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। शर्तों/मानदण्डों को पूरा करने के लिए या इन शर्तों/मानदण्डों के समर्थन के लिये अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले निविदादाता को खारिज किया जा सकता है।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद गोहद
जिला भिण्ड

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद गोहद
जिला भिण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by GARIMA KANORIYA
Date: 2026.05.14 15:21:08 IST
Location: Madhya Pradesh-MP